

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 14.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Balubhau Dhanorkar (Alias Suresh Narayan) के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 242 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	BHARGAVI	SH. VIKRAM BODHIRAM SAHU MOB- 9370626546, 8055060386	1	O.F. CHANDA
2	REYANSH	SH. VISHAL BOTHALE MOB- 9403330501, 9403330612	1	O.F. CHANDA
3	ASAJ	SH. AZAD ANVAH SHEKH MOB- 9960016561	1	O.F. CHANDA
4	JAYDEEP	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
5	SAACHI	SH. ROSHAN SINGH MOB- 8329332577	2	WCL NEW MAJRI
6	ADITYA	SH. SINU BHUKYA MOB- 8275283713	1	O.F. CHANDA
7	DIKSHANT	SH. DURGRAJ RAMTEKE MOB- 9067768618	3	O.F. CHANDA
8	NAVYA	SH. VISHAL RAMTEKE MOB- 9850362864, 9119557209	4	O.F. CHANDA
9	SHURYA	SH. MONTI RAMTEKE MOB- 7840924809, 8669086121	1	O.F. CHANDA
10	RAKSHA	SH. DHAMMAPAN CHANDANKHEDE MOB- 9518387083, 9284979432	1	O.F. CHANDA

पिशा ठाकुर


कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Balubhau Dhanorkar (Alias Suresh Narayan) माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, MUMBAI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)